न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 1/2024

प्रार्थीगण

1. रक्षा पुत्री राजूराम
2. गौतम पुत्र राजूराम
   जातियान सुथार निवासीगण ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर प्रार्थी सं. 1 व 2 जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति पिनुदेवी पत्नी राजूराम जाति सुथार निवासी ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला
3. श्रीमति पिनुदेवी पत्नी राजूराम जाति सुथार निवासी ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजूराम पुत्र स्व. घेवरराम
2. मदनलाल पुत्र स्व. घेवरराम
3. सोनकी पत्नी स्व. घेवरराम जातियान सुथार निवासीगण ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति:– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
अप्रार्थी सं. 5– सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक:– 23/09/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उपरोक्त पते पर निवास करते है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का धर्म हिन्दू है। राजस्व ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

संख्या 371/3 रकबा 1.6180 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है। जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार उपरोक्त खसरा की भूमि के खाता संख्या 550 है। उपरोक्त खसरे की भूमि को प्रार्थना पत्र के आगे के पदो में वादग्रस्त कृषि भूमि से संबोधित किया जायेगा। पैरा 3 में वर्णित सजरा वंशावली वृक्ष के अनुसार घेवरराम प्रार्थी संख्या 1 व 2 के दादा व प्रार्थी संख्या 3 के ससुर थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है तथा घेवरराम के वारिस मदनलाल, राजूराम पिसरान घेवरराम व सोनकी पत्नी घेवरराम है। अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रार्थी संख्या 3 के पति है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के दादा व प्रार्थी संख्या 3 के ससुर घेवरराम के नाम से दर्ज थी। घेवरराम फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि घेवरराम के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 से 3 राजूराम, मदनलाल व सोनकी के नाम दर्ज हुई। जिसमें घेवरराम के प्रत्येक वारिस का 1ध3 हिस्सा दर्ज हुआ। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 1 व 2 व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की पुश्तैनी, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा व अविभाजित कृषि भूमि है तथा प्रार्थी संख्या 1 व 2 घेवरराम के पौत्र/पौत्री होने से हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 व 2 का भी वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता अप्रार्थी संख्या 1 राजूराम के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में बराबर हक व अधिकार है तथा उक्त पैतृक सम्पति में प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद पेश किया जाने से प्रार्थी संख्या 3 भी उक्त पैतृक सम्पति में हिन्दू लॉ के अनुसार प्रार्थी संख्या 1 व 2 के बराबर–बराबर अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से की पुश्तैनी कृषि भूमि में हक प्राप्त करने की कानूनन अधिकारिणी है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के नाम वादग्रस्त कृषि भूमि में दर्ज 1/3 हिस्से में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/4 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/4 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार व हिन्दू लॉ के अनुसार बनता है तथा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/12 वॉ हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 1/12 वो हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 का 1/12 वीं हिस्सा हिन्दू उतराधिकार कानून के अनुसार व हिन्दू लॉ के अनुसार बनता है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थीगण के हिन्दू उत्तराधिकार कानून व हिन्दू लों के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित उपरोक्त हिस्से की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से दर्ज करवाने हेतु निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने मना कर दिया। जबकि प्रार्थीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित उपरोक्त हिस्से की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने के हिन्दू उत्तराधिकार कानून व हिन्दू लों के अनुसांर अधिकारी है। इस कारण

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 का निहित 1/12 वॉ हिस्सा, प्रार्थी ख्या 2 का निहित 1/12 वीं हिस्सा, प्रार्थी संख्या 3 का निहित 1/12 वॉ हिस्सा के सम्बंध में खातेदार घोषित किये जाने हेतु वाद बाबत् खातेदारी की घोषणा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णितानुसार निहित का विधिवत् बंटवाड़ा नहीं हुआ है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थीगण के निहित हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने आज दिन तक न तो प्रार्थीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही प्रार्थीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के निहित हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के प्रार्थीगण न तो अपने निहित हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकते है और न ही उसे उपजाऊ बना सकते है, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते है। इसलिए सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक प्रार्थीगण के निहित 1/12 वॉ हिस्से की भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत कर दिया है। सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज होने के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि को दिनांक 27.12.2023 को बैचान किये जाने हेतु अजनबी क्रेतागण को वादग्रस्त कृषि भूमि का मौका दिखाने हेतु मौके पर लेकर आये, जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर प्रार्थीगण मौके पर गये तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को प्रार्थीगण द्वारा समझाईश की तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बताया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पुश्तैनी भूमि है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्से में प्रार्थीगण का भी हिन्दू उतराधिकार कानून व हिन्दू लॉ के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के बराबर हक व अधिकार है। इसलिए प्रार्थीगण की सहमति के बिना व बिना विभाजन के अप्रार्थी संख्या 1 से 3 सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि को बैचान नही कर सकते है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रार्थीगण की समझाईश से नही माने तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 ने प्रार्थीगण को इस आशय की धमकी दी कि वो सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर व बिना विभाजन के आगे बैचान, हस्तान्तरण करके रहेंगे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बिना विभाजन के व बिना प्रार्थीगण की सहमति के सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के निहित हिस्से को कानूनन बैचान करने का कोई हक व अधिकार नही है। इसलिए

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वो सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में उनके नाम दर्ज होने के आधार पर आगे बैचान, हस्तान्तरण कर देंगे तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर देंगे, जिसके कारण प्रार्थीगण सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हिस्से से वंचित हो जायेगे तथा प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 उक्त गैर कानूनी कृत्य किये जाने से रोकने हेतु उन्हे जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 से 3 का हिन्दू उतराधिकार कानून व हिन्दू लॉ के अनुसार प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णितानुसार हिस्सा निहित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। यदि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 वादग्रस्त कृषि भूमि उनके नाम इन्द्राज के आधार पर बिना विभाजन के व बिना प्रार्थीगण की सहमति के बैचान, हस्तान्तरण कर देते है तथा प्रार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के निहित हिस्सा से जबरन बेदखल कर देते है तो प्रार्थीगण वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्राप्त हक व अधिकार से वंचित हो जायेंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसका मूल्यांकन रूपयों में नही आंका जा सकता है व प्रार्थीगण सदा–सदा के लिए न्याय से वंचित हो जायेगे व प्रकरण में पैचिदगिया व मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वो राजस्व मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त कृषि भूमि को किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे न ही प्रार्थीगण के करता कास्त में किसी प्रकार की स्वयं या अन्य से दखलन्दाजी करावे।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाये कि वो प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित प्रार्थीगण के क्रमशः 1/12–1/12–1/12 वॉ हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं दखलन्दाजी करे व न ही अन्य किसी के जरिये करावे तथा प्रार्थीगण के निहित उपरोक्त हिस्से की वादग्रस्त कृषि भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 से 3 राजस्व रेकर्ड में दर्ज इन्द्राज के आधार पर किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करे वन ही खुर्द बुर्द करे तथा प्रार्थीगण के वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित हिस्सा की भूमि के राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा अप्रार्थी संख्या 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादग्रस्त कृ

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

षि भूमि में प्रार्थीगण के निहित हिस्सा के सम्बंध में किसी प्रकार का अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा अन्तरण के सम्बंध में दस्तावेज पेश होने पर उसका पंजीयन नही करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं. 1 से 4 की ओर से कोई उपस्थित नही होने पर दिनांक 31.07.2024 को अप्रार्थी सं. 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 7 प्रफोर्मा पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– प्रथम दृष्टया मामले को सिद्ध करने का भार प्रार्थीया पर है। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 371/3 रकबा 1.6180 हैक्टयर पक्षकारों की पैतृक अविभाजित भूमि है। जिसका विधिवत् बंटवाड़ा नही हुआ है। प्रार्थीया के दादा घेवरराम के फौत होने पर उक्त भूमि मदनलाल, राजूराम व सोनकी के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हुए। प्रार्थीया के पिता के भूमि नाम होने से आगे बैचान हस्तान्तरण करने पर आमादा है। जब तक दावे में अधिकार तय नहीं हो जाते तब तक भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावें। अन्यथा भूमि का बैचान होने की पूरी पूरी संभावना है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा व काश्त प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का है। न्यायिक दृष्टान्त 2021(2)डी.एन.जे.(रेवेन्यू) 997 मिश्रोदेवी बनाम सुभाष में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि वाद के निस्तारण तक सम्पति को संरक्षित रखना न्यायालय का कर्तव्य है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है धारा 212 राजस्थान टीनेसी एक्ट में प्रावधान है कि वादग्रस्त भूमि को नुकसान पहुचाने की नियत से खतरा हो तो ऐसी स्थिति में सम्पति की सुरक्षा हेतु अनुतोष के रूप में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। अधिकार के संबंध में गंभीर एवं सद्भावी डिस्प्यूट मानते हुए दावे का निस्तारण तक आराजी को हस्तान्तरित नही करना चाहिए। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2. **सुविधा का संतुलन** :– विवादित भूमि खसरा नम्बर 371/3 रकबा 1.6180 हैक्टयर पर वर्तमान में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 भूमि पर काबिज काश्त है, इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है।

3. **अपूर्णनीय क्षति** :– अगर विवादित भूमि का बैचान हस्तान्तरण कर दिया जायेगा तो मौके की स्थिति में परिवर्तन होगा, जिसकी अपूर्णनीय क्षति प्रार्थीगण को कारित हो जायेगी। अतः ऐसी स्थिति में दावे के निर्णय तक यथास्थिति कायम रखना आवश्यक है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बीनावास तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 371/3 रकबा 1.6180 हैक्टयर का मूल वाद के निस्तारण तक अन्य किसी को बैचान या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नही करे तथा विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 23/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा